

**फार्म FORM VI**

(नियम 25(1) देखें) (See rule 25(1))

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन लाइसेंस Andaman and Nicobar Administration  
जारी करने वाले प्राधिकारी का कार्यालय Office of the Licensing Officer

लाइसेंस सं. Licence No .....दिनांक Dated .....201..... संदत्त फीस रु. Fee paid Rs.....

**लाइसेंस Licence**

..... को अनुलग्नक में विनिर्दिष्ट भातों के अनुसार ठेका श्रम(विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम, 1970 की धारा 12(1) के अधीन लाइसेंस जारी किया जाता है। Licence is hereby granted to.....under Section 12(1) of the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970, subject to the conditions specified in Annexure.

यह लाइसेंस ..... स्थापना के दिनांक .....  
.....के कार्य आदे 1 सं. .... के अनुसार .....  
.....कार्य करने के लिए जारी किया जा रहा है।

The Licence is for doing the work of .....  
..... in the  
establishment of .....

यह लाइसेंस दिनांक .....तक वैध रहेगा | This Licence shall remain in force till .....

दिनांक ..... लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर  
Signature and Seal of the Licensing Officer

दिनांक :

**नवीकरण RENEWAL**

( नियम 29 ) ( Rule 29 )

नवीकरण की तारीख Date of Renewal	नवीकरण के लिए संदत्त फीस Fee paid for renewal	वैधता समाप्त होने की तारीख Date of Expiry

## अनुलग्नक /AN NEXURE

यह लाइसेंस निम्नलिखित भातों पर जारी किया जाता है ।

The licence is subject to the following conditions:

1. यह लाइसेंस हस्तांतरणीय नहीं है । The licence shall be non-transferable
2. इस स्थापना में एक दिन ..... से अधिक कामगारों को ठेकेदार श्रमिकों के रूप में काम पर नहीं लगा सकते हैं । The number of workmen employed, as contract labour in the establishment shall not, on any day, exceed.....
3. इन नियमों में प्राविहित के सिवाय लाइसेंस प्रदान करने या नवीकरण करने जैसे भी मामला हो संदत्त फीस को लौटाया नहीं जाएगा । Except as provided in the rules the fees paid for the grant, or as the case may be, for renewal of the licence shall be non-refundable.
4. ठेकेदार द्वारा कामगारों को दिए जाने वाली मजदूरी की दर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत रोजगार अनुसूची में निर्धारित दर, जहाँ पर लागू हो से कम नहीं होनी चाहिए तथा जहाँ पर नियम करार, परिनिर्धारण या अधिनिर्णय द्वारा निर्धारित हो निर्धारित दर से कम नहीं होनी चाहिए ।  
The rates of wages payable to the workmen by the contractor shall not be less than the rates prescribed for the Schedule of employment under the Minimum Wages Act, 1948, where applicable and where the rule have been fixed by agreement, settlement or award, not less than the rates fixed.
5. ठेकेदार पर द्वारा नियुक्त कामगार उस स्थापना के प्रधान नियोक्ता द्वारा सीधे नियुक्त कामगार उसी कार्य या समान तरह या कार्य करने के मामले में ठेकेदार द्वारा नियुक्त कामगारों की मजदूरी दर, अवका 1, कार्य का घंटा, तथा सेवा की अन्य भातें वही होंगे जो प्रधान नियोक्ता द्वारा सीधे नियुक्त कामगारों को लागू हो ब त्त कार्य के प्रकार के संबंध में मतभेद के मामले में उसका निर्णय अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के श्रम आयुक्त द्वारा किया जाएगा तथा उनका निर्णय अंतिम होगा । In case where the workmen employed by the contractor performs the same or similar kind or works as the workmen directly employed by the Principal Employer of the establishment, the wage rates, holidays, hours of work and other conditions of service of the workmen of the contractor shall be the same as applicable to the workmen directly employed by the Principal Employer of the establishment on the same or similar kind of work: provided that in the case of any disagreement with regard to the type of work the same shall be decided by the Deputy Chief Labour Commissioner(C) whose decision shall be final.
6. अन्य मामलों में ठेकेदार के कामगारों की मजदूरी दर, अवका 1, कार्य का घंटा तथा सेवा की भातें वही होंगे जो अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के श्रम आयुक्त की ओर से निर्धारित किया गया हो । In other cases the wage rates, holidays, hours of work and conditions of service of the workmen of the contractor shall be such as may be specified in this behalf by the Labour Commissioner, Andaman and Nicoabr Islands.
7. प्रत्येक स्थापना में जहाँ पर सामान्यतः 20 या उससे अधिक महिलाओं को ठेका श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया है के, छह वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पर्याप्त परिमाण के दो कमरे प्रदान करना होगा । ऐसे कमरे में से एक बच्चों के खेलने का कमरा तथा दूसरे को बच्चों के भायन कक्ष के रूप में उपयोग किया जायगा । इस प्रयोजन के लिए ठेकेदार खेलने के कमरे में पर्याप्त खिलौने और खेल तथा भायन कक्ष में

पर्याप्त पलंग तथा बिस्तर उपलब्ध कराएगा । निर्माता सुसदनों के निर्माण तथा रखरखाव के मानक वही होंगे जो श्रम आयुक्त, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की ओर से निर्धारित किया गया हो । In every establishment where 20 or more women are ordinarily employed as contract labour there shall be provided 2 rooms of reasonable dimensions for the use of their children under the age of six years. One of such rooms would be used as a playroom for the children and the other as bedroom for the children. For this purpose, the contractor shall supply adequate number of toys and games in the playroom and sufficient number of cots and beddings in the sleeping room. The standard of construction and maintenance of the crèches may be such as may be specified in this behalf by the Labour Commissioner. Andaman and Nicobar Islands.

8. लाइसेंस धारक कामगारों की संख्या या कार्य की भातों में बदलाव के संबंध में लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारी को सूचित करेंगे । The licence shall notify and change in the number of workmen or the conditions of work to the Licensing Officer.

9. लाइसेंस की एक प्रति परिसर के सुस्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित करेंगे जहाँ पर ठेका कार्य चल रहा हो । A copy of the licence shall be displayed prominently at the premises where the contract work is being carried on.